प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : R-1108 /जी–5–3ए/2015 दिनांक : 15 मई, 2017

विषय: उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा–31 (2) के अनुरूप खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या–आर0 630/जी–3ए/2015 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा–31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–28 के अनुरूप खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किए जाने हेतु निर्दिष्ट प्राविधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रक्रिया के समयबद्ध निस्तारण हेतु विभिन्न चरणों की समयसीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है–

1. खतौनी में प्रत्येक सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु अंश निर्धारण स्कीम के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के अंश निर्धारण सूचना का प्रकाशन दिनांक 20 मई से 25 मई के मध्य किया जाएगा।

   इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम में खातेदारों के अंश निर्धारण के लिये **संलग्नक–1** पर सूचना प्रसारित एवं प्रकाशित करने और उसकी प्रतियां स्थानीय समाचार पत्रों, जिलाधिकारी कार्यालय, अपर जिलाधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, सम्बन्धित विकास खण्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर चस्पा करने हेतु निर्देश दिये जायेंगे।

2. प्रत्येक लेखपाल अपने राजस्व ग्राम की खतौनी में उल्लिखित खातावार समस्त सहखातेदारों की सूची गाटा नम्बरवार तैयार करेगा। यह सूची गाटा नम्बरों के बढ़ते हुए कम में तैयार की जाएगी। खतौनी मे दर्ज सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंम्भिक रूप से सहखातेद्दारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र–1 में **संलग्नक–2** के अनुसार दिनांक 26 मई से 30 जून के मध्य तैयार किया जाएगा।

3. उक्त सूची में उल्लिखित लेखपालों द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश को आकार पत्र–2 के पूवार्द्ध भाग में तैयार कर नोटिस द्वारा सहखातेदारों पर दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य तामीला कराया जाएगा तथा लेखपाल द्वारा जारी नोटिस की प्रति सम्बन्धित सहखातेदारों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्राप्ति रसीद संकलित की जायेगी।

4. सहखातेदार भूमिधर द्वारा नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस के अन्दर अपने अंश के संदर्भ में अपनी आपत्ति अथवा अभिकथन/शुद्धिकरण (आकार पत्र–2) का उत्तरार्द्ध भाग खातेदार द्वारा भर कर लेखपाल के पास प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी प्राप्ति रसीद सहखातेदार को दी जायेगी।

5. सहखातेदार भूमिधरों द्वारा प्रदान की गयी सूचना के आधार पर, लेखपाल 16 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि में सम्बन्धित सहखातेदारों और ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा प्रारम्भिक रूप से निर्धारित करेगा।

6. हिस्से के निर्धारण में लेखपाल द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 28(4) में उल्लिखित निम्न सिद्धांतों का अनुपालन किया जायेगा–

नियम 28(4)(क)– यदि जोत पैतृक है तो प्रत्येक खातेदार का हिस्सा इस संहिता में विहित उत्तराधिकार की विधि के अनुसार वंशवृक्ष के अनुरूप अथवा पारिवारिक बन्दोबस्त, यदि कोई हो, के आधार पर निर्धारित किया जायेगा,

नियम 28(4)(ख) –यदि सह–खातेदारों के नाम अर्जन अथवा वसीयत के आधार पर अभिलिखित हैं तो हिस्से का निर्धारण सम्बन्धित विलेख में समाविष्ट विषय वस्तु के अनुसार निर्धारित किया जायेगा,

नियम 28(4)(ग)– यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा हिस्सा तय किया गया है तो उसे तद्नुसार दर्ज किया जायेगा।

7. हिस्से का प्रारम्भिक निर्धारण किये जाने के पश्चात् राजस्व निरीक्षक द्वारा 01 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक खातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र–8 में नोटिस जारी की जायेगी, जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा अलग–अलग इंगित होगा **(संलग्नक–3)**।

8. नोटिस के तामीला के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर अर्थात् दिनांक 01 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य सहखातेदार/भूमिधर, प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति, यदि कोई हो, तहसील के आर0के0 कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा, जिसकी प्राप्ति रसीद सहखातेदार को दी जायेगी। आर0के0 कार्यालय इन आपत्तियों को सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को सुनवाई हेतु उपलब्ध करायेगा।

9. उपर्युक्त पन्द्रह दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, राजस्व निरीक्षक, राजस्व ग्राम समिति की सहायता से पक्षों के बीच सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित करेगा। इस हेतु दिनांक 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक का समय निर्धारित किया जाता है।

10. ऐसे सभी आपत्ति अथवा आक्षेप जिन्हें राजस्व निरीक्षक द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह के आधार पर तय नहीं किया गया है, उपजिलाधिकारी को 30 सितम्बर तक अग्रसारित कर दी जाएगी और वह सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राजस्व संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत वाद दर्ज कर पक्षकरों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रारम्भिक आदेश पारित करेगा और प्रारम्भिक डिक्री बनाएगा। पक्षकार यदि चाहते हो तो प्रारम्भिक डिग्री के बाद कुर्रा फाटकर अन्तिम आदेश और डिक्री बनायी जायेगी।

राजस्व निरीक्षक अथवा उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को क्रियान्वित किया जाएगा और प्रत्येक खातेदार का हिस्सा खतौनी में आर0सी0प्रपत्र–7 **(संलग्नक–4)** दर्ज किया जाएगा।

11. इस नियम के अंतर्गत पारित आदेश से क्षुब्ध कोई पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपने हिस्से की घोषणा के लिये वाद दाखिल कर सकेगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने के संबंध में उपर्युक्त समयबद्ध प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त–
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–
1–प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2–समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
15/5/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संलग्नक–1

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद.................

पत्रांक--..................................   दिनांकः........................

आदेश

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 31की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं.................................. ....जिलाधिकारी, ...संलग्न सूची में उल्लिखित ग्रामों, तहसील ...., की खतौनी में प्रत्येक सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समय–सारिणी के अनुसार ''अंश निर्धारण स्कीम'' का संचालन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता/करती हूँ।

जिलाधिकारी ....

जनपद...

क्र0सं0	गतिविधि	समय सीमा
1	जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के अंश निर्धारण सूचना का प्रकाशन किया जाना।	20 मई से 25 मई 2017 तक
2	खतौनी मे दर्ज सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र–1 में तैयार किया जाना।	26 मई से 30 जून 2017 तक
3	लेखपालों द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश को आकार पत्र–2 के पूवार्द्ध भाग में तैयार कर सहखातेदारों को नोटिस द्वारा तामील कराया जाना।	01 जुलाई से 15 जुलाई 2017 तक
4	सहखातेदार/भूमिधर द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण दाखिल किया जाना (आकार पत्र–2) का उत्तरार्द्ध भाग खातेदार द्वारा भर कर लेखपाल के पास जमा किया जाना।	16 जुलाई से 31 जुलाई 2017 तक
5	राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल के माध्यम से सहखातेदारों के अंश निर्धारण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाना।	01 अगस्त से 15 अगस्त तक
6	सहखातेदार/भूमिधर द्वारा प्रारम्भिक रूप से की गई अंश निर्धारण की आपत्ति तहसील में आर0के0 कार्यालय में उपलब्ध कराना।	16 अगस्त से 31 अगस्त तक
7	राजस्व निरीक्षक, राजस्व ग्राम समिति की सहायता से पक्षों के बीच सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित किया जाना।	01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक

४२

संलग्नक–2

आकार पत्र – 1

राजस्व ग्राम का नाम –.. ग्राम का यूनीक कोड (16 अंक)...

लेखपाल क्षेत्र –...

तहसील –... जिला –...

क्रम सं0	खाता सं0	सहखातेदारों का नाम	पिता का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	गाटे में खातेदार का अंश	क्षेत्रफल (हे0 में)	अंश निर्धारण का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

संलग्नक–3

आर0 सी0 प्रपत्र–8

सह–खातेदारों के अंश के प्रारम्भिक निर्धारण के सम्बन्ध में नोटिस

सेवा में,

....

....

....(खातेदार का नाम व पता)

नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत सह–खातेदारों के अंशों के प्रारम्भिक निर्धारण के अनुसार आपका अंश भू–खण्ड संख्या/खाता संख्या ....क्षेत्रफल........................ग्राम........................... परगना..............................तहसील...........................जनपद..................................में है।

यदि आपको उपरोक्त प्रस्तावित अंश के बारे में कोई आपत्ति है तो आप नोटिस प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिनों के अंदर लेखपाल के समक्ष आपत्ति दाखिल कर सकते है। यदि विहित समय के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको प्रस्तावित अंश के विरूद्व कोई आपत्ति नही है और तदनुसार आदेश पारित किया जायेगा।

राजस्व निरीक्षक

नाम...

हल्का...

आकार पत्र–2 का

नोटिस का प्रारूप

श्री...

पुत्र/पुत्री/पत्नी.......................................

निवासी ग्राम...

परगना/तहसील...

जनपद...

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम.......................परगना/तहसील............................ जनपद...की खतौनी..................................से.................................. फसली के खाता संख्या..............................की गाटा...के आप सहखातेदार हैं, जिसमें आपका अंश संलग्न आकार पत्र 2 में दर्शाया गया है। ....हेक्टेयर होता है।

उपरोक्त अंश का निर्धारत वरासत/वसीयत/बैनामा/दान आदि के आधार पर प्रारम्भिक रूप में निर्धारित है।

यदि आपको उपरोक्त खाते के गाटा संख्याओं के क्रमशः अंश के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के आन्दर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दें अन्यथा, यह समझा जायेगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है तथा तद्नुसार अंश अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया जायेगा।

दिनांक.................................

हस्ताक्षर लेखपाल.........................

नाम...

हलका...

तहसील...

जनपद...

सहखातेदारों का प्रारम्भिक अंश निर्धारण–आकार पत्र–2

क्र0सं0	वर्तमान स्थिति (लेखपाल द्वारा भरा जायेगा)			शुद्धीकृत विवरण (खातेदार द्वारा भरा जायेगा)		
1	खातेदार का नाम					
2	पुत्र / पुत्री / पत्नी					
3	खातेदार का आधार नम्बर					
4	निवासी ग्राम					
5	परगना / तहसील					
6	जनपद					
7	ग्राम (जिसमें भूमि दर्ज है)					
8	ग्राम का यूनीक कोड					
9	खतौनी फसली वर्ष					
10	खाता संख्या					
11	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	खातेदार का अंश (क्षेत्रफल हे0 में)	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	खातेदार का अंश (क्षेत्रफल हे0 में)
(i)						
(ii)						
(iii)						
(iv)						
(v)						
(vi)						
(vii)						
(viii)						
(ix)						
(x)						
(xi)						
(xii)						
(xiii)						
(xiv)						
(xv)						

नोटः– 1. यदि लेखपाल द्वारा भरे गये विवरण–खातेदार का नाम, पता, खांता संख्या, गाटा संख्या व अंश सही है तो सम्बन्धित कॉलम में खातेदार द्वारा केवल सही का निशान लगाया जाएगा और यदि किसी कॉलम का विवरण अशुद्ध है या कोई आपत्तिं है तो खातेदार द्वारा सम्बन्धित कॉलम में इसे शुद्ध रूप से अंकित कर इस आकार पत्र को क्षेत्रीय लेखपाल को निर्धारित समय सीमा में हस्तगत करा दिया जाए।

2. मैं श्री / श्रीमती .... राजस्व अभिलेखों में अपने आधार कार्ड को अंकित करने की सहमति इस आशय से देता हूं कि इसका प्रयोग राजस्व अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य प्रयोग के लिये न किया जाए।

हस्ताक्षर लेखपाल..........................

नाम..

हलका...

तहसील...

खातेदार का हस्ताक्षर ....

खातेदार का पूरा नाम..

पिता / पति..

पता व मो0नं0..

संलग्नक–4

आर0सी0 प्रपत्र–7

(देखें नियम–27)

खतौनी (अधिकार अभिलेख)

गांव :................................, तहसील :........................, जिला :..................................

खाता खतौनी का क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पितृत्व तथा निवास	खातेदारी प्रारम्भ होने का वर्ष	खाता के प्रत्येक भू–खण्ड का खसरा संख्या	प्रत्येक भू–खण्ड का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय भू–राजस्व	खातेदार का अंश
1	2	3	4	5	6	7

परिवर्तन का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के आदेश का सार, आदेश की संख्या, दिनांक तथा पदनाम।						टिप्पणी
फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
8	9	10	11	12	13	14

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :R-1109/जी–5–3ए/2015 दिनांक : 15 मई, 2017

विषयः उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा–31 (2) के अनुरूप खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषद पत्र संख्या आर–1108/जी–5–3ए/2015 दिनांक 15 मई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा–31 (2) के अनुरूप खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने के संबंध में है।

अतः इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक–2 के आकार पत्र 1 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जो खतौनियां वर्तमान वित्तीय वर्ष में अद्यतन की जानी है, प्रारम्भिक तौर पर उन्हीं गाँवों की खतौनियों में दर्ज सहखातेदारों के अंश निर्धारण की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

15/5/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।